


बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

—: कार्यालय आदेश :-

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अन्तर्गत सृजित विभिन्न संविदात्मक पदों पर नियोजित एवं कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) दिनों का विशेष अवकाश का प्रावधान किया जाता है।

2. विशेष अवकाश दो लगातार दिनों के लिए प्रत्येक माह एक ही बार देय होगा।
3. यह विशेष अवकाश सभी कार्यरत महिला कर्मियों को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा।
4. विशेष अवकाश देने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी का होगा।
5. विशेष अवकाश का उपभोग हेतु आवेदन/सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


8-11-21


(सतीश रंजन सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—
प्रतिलिपि:—

बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०-07/2021, सो०.1966 दिनांक:- 08/11/2021

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


8-11-21

विशेष कार्य पदाधिकारी